(14)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– बद्री नारायण मीना आर ए एस

वाद पत्र संख्या 13/2017

1. मोडू खांन पुत्र गेंदया खां
2. मुंशी खांन पुत्र गेंदया खां
3. रोशन खांन पुत्र गेंदया खां
4. आसीन खां पुत्र गेंदया खां
5. नजीर अहमद पुत्र गेंदया खां
6. रहमत दुख्तर गेंदया खां
7. मुन्नी दुख्तर गेंदया खां
8. धापू पत्नि गेंदया खां

समस्त जाति लुहार मुसलमान निवासी हथडोली तहसील बोली जिला स.मा.

...... वादीगण

बनाम

1. श्योजी पुत्र कन्हैया जाति नाथ निवासी हथडोली तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील बौली जिला स.मा.

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत धोषणा खातेदारी,दुरूस्ती इन्द्राज

एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक 20.10.22

उपस्थित– श्री मोहम्मद जाहिद शिर्वानी एडवोकेट वादीगण की और से

आदेश

वादीगण की और से यह दावा इस आशय का पेश किया कि वादीगण ग्राम हथडोली के रहने वाले काश्तकार पेशा हैं सजरे में वादीगण गेंदया के वारिसान दर्ज किये हैं जो वादी सं. 1 लगायत 8 हैं। तथा हाजरा पुत्री का फोत होना दर्ज किया हैं। मुताबिक जमाबंदी संवत 2050–53 की जमाबंदी खाता सं. 318 ख.नं. 91 ग्राम हथडोली मे नामान्तरकरण सं. 1045 विरासत 5.9.02 से कन्हैया की विरासत गजानन्द, श्योजी पिसरान कन्हैया मु. हरली बेवा कन्हैया नाथ हिस्सा 1/2 स्वीकार हुआ। प्रति. सं. 1 ल.2 ने वादी सं.1 ल.7 के पिता व वादिया सं.8 के पति गेंदया खां का जरिये विकय पत्र दिनांक 12.9.02 को बेचान कर बेचान नामा पंजीबघ्द करवा दिया जिसका नामान्तरकरण भी सं. 1047 दिनांक 20.11.02 से स्वीकार होने पर जमाबंदी में इन्द्राज कर दिया । इस प्रकार उक्त आराजी गेंदा जो वादीगण के पिता/पति थे की खातेदारी में दर्ज थी। बाद सेटिलमेंट उक्त आराजी खसरा नं.91 रकबा 6 बीधा 2 विस्वा के हाल ख.नं.127 रकबा 1.54 हैक्टेयर कायम किये गये। लेकिन सेटिलमेंट के दौरान नवीन खसरा नं. 127 में खातेदारी श्योजी एवं प्रति.सं.1

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

(15)

की माता हरली के नाम खातेदारी मे लगादी जबकि सेटिलमेंट वालो को इस तरह का परिवर्तन का अधिकार नहीं था। गेंदया का स्वर्गवास हो गया जिनके हम वादीगण हीं वारिसान हैं तथा हरली का भी स्वर्गवास हो गया इस कारण उसे पक्षकार नहीं बनाया गया ।प्रतिवादी सं.2 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया।हवाला हाडी जी कृषक गेंदया खां हिस्सा 1/2 का स्वर्गवास हो गया हैं जिनके भी वादीगण वारिसान हैं यह हिस्सा यथावत रहेगा। उक्त गलती की जानकारी दिनांक 27.9.16 को जमाबंदी की नकल लेने पर हुयी। इस कारण यह दावा करना लाजिम आया। धोषणा इस अमर की फरमाई जावें कि आ.ख.नं.127 वाके ग्राम हथडोली तहसील बोली का वादीगण खातेदार काश्तकार हैं राजस्व रिकोर्ड में अमल किया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं.1 व 2बाद तामील उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूघ्द दिनांक 9.3.17 को एकपक्षीय कार्यवाहीं के आदेश दिये गयें।

चूँकि दावे में जबाव दावा पेश नहीं किया गया इस कारण तनकीयात विरचित नहीं की गयी। साक्ष्य वादीगण ग्रहण की गयी।

वादीगण की और से साक्ष्य पी.ड.1 मुंशी खां, पी.ड.2 नारायण सिंह, पी.ड.3 गणपत सिंह ली गयी एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2069–72 खाता संख्या 373 ख.नं. 127 रकबा 1.54 हैक्टेयर, प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत 2063 खाता सं. 350 खसरा नं.127 रकबा 1.54 हैक्टेयर, प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत 2050–2053 खाता सं. 318 ख.नं.91/मिन रकबा 6 बीधा 2 विस्वा, प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–5 नामान्तरकरण सं. 1047 दिनांक 20.11.02 , प्रदर्श–6ए छाया प्रति मृत्यू प्रमाण पत्र गेंदया, प्रदर्श–7ए छाया प्रति प्रमाणित जरिये नोटेरी बेचान पत्र दिनांक 12.9.2002 प्रस्तुत किये ।

बहस वादीगण के अधिवक्ता की सुनी गयी। वादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण का दावा डिक्री फरमाया जावें।

बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया।

1. प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत 2050–53 खाता संख्या 318 खसरा नं. 91 रकबा 6 बीधा 2 विस्वा का अवलोकन किया तो उक्त आराजी गोविन्दा1/2 एवं कन्हैया 1/2 के नाम दर्ज हैं तथा गोविन्दा का 1/2 हिस्सा बाबत गोविन्दा के बजाय 1/2 हिस्सा गेंदया खां पुत्र गुलाब खां के नाम स्वीकार हुआ। अर्थात गोविन्दा का 1/2 हिस्सा गेंदया के हक में दर्ज हुआ। साथ हीं कन्हैया की विरासत का नामान्तरकरण सं. 1045 दिनांक 5.9.2002 का नोट यह दर्शाता हैं कि

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

कन्हैया के इंतकाल पर उसकी विरासत गजानन्द, श्योजी पि. कन्हैया एवं हरली बेवा कन्हैया नाथ के नाम 1/2 दर्ज किया गया ।

2. प्रदर्श—7 बयनामा दिनांक 12.9.2002 का अवलोकन किया जिसमें उक्त आराजी ख.नं.91 रकबा 6 बीधा 2 विस्वा में गजानन्द, श्योजी पि. कन्हैया एवं मु. हरली बेवा कन्हैया का 1/2 हिस्सा गेंदा खां पुत्र गुलाब खां को बेचान कर दिया उक्त बयनामा उपपंजीयक बोली के यहां तसदीक किया गया।जिसका नामान्तरकरण संख्या 1047 दिनांक 20.11.02 खोला गया तथा प्रदर्श—2 में अंकन किया गया। इसके मुताबिक गेंन्दया ने गजानन्द श्योजी एवं हरली का भी 1/2 हिस्सा खरीदने एवं पूर्व में गोविन्दा का 1/2 हिस्सा खरीदने के बाद उक्त सम्पूर्ण आराजी का गेंन्दया खातेदार हो गया ।

3. प्रदर्श—4 का अवलोकन किया इसके मुताबिक साविक खसरा नं. 91 रकबा 6 बीधा 2 विस्वा का हाल नं.127 रकबा 1.54 हैक्टेयर कायम किये गये । तथा प्रदर्श—2 जमाबंदी संवत 2063 की जमाबंदी में गेन्दया का 1/2 हिस्सा एवं गोविन्दा का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि गोविन्दा के वारिसान गजानंद , श्योजी पि. कन्हैया एवं हरली बेवा कन्हैया ने पूर्व में उनका 1/2 हिस्सा गेंदया को बेचान कर दिया था जिसका नामान्तरकरण सं. 1047 दिनांक 20.11.02 को खोला जाकर साविक खसरा नम्बर 91 रकबा 6 बीधा 2 विस्वा की जमाबंदी प्रदर्श—3 में इन्द्राज भी हो रहा हैं। इस प्रकार सेटिलमेंट के बाद पुनः कन्हैया का हिस्सा 1/2 बावजूद बेचान पुनः कन्हैया एवं उसके इंतकाल पर उसके वारिसान के नाम गलत दर्ज किया गया हैं।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहूँचते हैं कि प्रदर्श—3 के अनुसार आराजी खसरा नं. 91 रकवा 6 बीधा 2 विस्वा पर सम्पूर्ण रकबे का खातेदार गेंन्दा हो गया था तथा सेटिलमेंट के बाद हाल खसरा नं. 127 रकबा 1.54 हैक्टर के खाते में नामान्तरकरण सं. 1047 के कम में जमाबंदी में इन्द्राज नहीं किये गये। हमने पटवारी से भी रिकोर्ड के संबंध में रिपोर्ट तलब की हैं जो कि उक्त तथ्यों की पुष्टि करती हैं।

अतः हमारे विनम्र अभिमत में वादी का दावा धोषणा संबंधी न होकर इन्द्राज दुरूस्ती से संबंधित हैं । सेटिलमेंट के दौरान हुई गलती को शुध्द किया जाना विधिसंगत हैं। हमने ग्राम हथडोली के अन्य खाता संख्या 226 कुल किता 8 कुल रकबा 3.15 हैक्टेयर का अवलोकन किया तो पाया कि गेदा लोहार के वारिसान में हाजना पुत्री गेंदा के नाम भी नामान्तरकरण खोला जाकर खातेदारी दर्ज की गयी हैं जबकि दावे में हाजना को फोत बताया गया ।तथा इसके लिये कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। लेकिन चूँकि वाद पत्र में हाजना का पुत्री

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

होना दर्ज हैं ऐसी सूरत में गेंदया की विरासत से हाजना को महरूम किया जाना न्यायहित में उचित व न्यायसंगत नहीं हैं।

आदेश

उक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में वादीगण का वाद इस तरमीम के साथ स्वीकार किया जाता हैं कि आराजी हाल जमाबंदी संवत 2073—2076 खाता संख्या 406 ग्राम हथडोली मे खसरा नं. 127 रकबा 1.54 हैक्टैयर में श्योजी एवं हरली का नाम हजफ किया जावें । तथा इसके स्थान पर वादी सं.1 ल. 8 एवं हाजना पुत्री गेंदया जाति लुहार मुसलमान के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जावें।रहन बाबत नोट यथावत रहेगा। वादीगण संबंधित बैंक से नवीन एनओसी पेश करने पर नोट हटाया जावें।तदनुसार राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त किया जावें। डिक्री जारी हों।

(बदरी नारायण मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला स.मा.

आदेश आज दिनांक 20-10-23 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर उच्चारित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला स.मा.
बौंली जिला सवाई माधोपुर